संख्या–372 /XXVIII(5)/2020-32/2003 T.C II Cover

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2020

विषय :– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–97/चि0शि0/03 (मेडिकल)/16/2017 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों के शुल्क को पुनर्निधारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– शासनादेश संख्या–1075/XXVIII(1)/2013-32/2003 T.C II Cover दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातक तथा परास्नातक पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में शैक्षणिक सत्र 2013–14 से परास्नातक पाठ्यक्रम का शुल्क बॉण्डधारी छात्रों के ₹ 60,000/– तथा बॉण्ड न भरने वाले छात्रों के लिए ₹ 5,00,000/– निर्धारित है।

3– शासनादेश संख्या–837/XXVIII(1)/2013-19(मे0का0)/2015 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रम में बॉण्ड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

4– अतः राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 नॉन क्लीनिकल पाठ्यक्रमों की सीटें रिक्त रहने/छात्रों द्वारा प्रवेश में रूचि नही लिये जाने एवं शासनादेश संख्या–837/XXVIII(1)/2013-19(मे0का0)/2015 दिनांक 26 जून, 2019 में किये गये प्राविधान के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन क्लीनिकल पी0जी0 पाठ्यक्रम

D:\computer data till 2020\Yashwant Sir\Draft 2020.doc

Scanned by CamScanner

(एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एवं कम्यूनिटी मेडिसिन) का शैक्षणिक सत्र वर्ष 2020–21 से वार्षिक ₹ 1,00,000/– (₹ एक लाख) का शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–58(म0)(3)/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 372/XXVIII(5)/2020-32/2003 T.C II Cover एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

2– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

3– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner